श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा / 2024–25 / 1357 दिनांक 17 / 2 / 2025

**अत्यावश्यक–सूचना पत्र**

18 FEB 2025

**विषयः– वर्ष 2024–25 हेतु पिछडा वर्ग नवीन प्रथम वर्ष के विद्यार्थियो को स्कालरशिप हेतु MPTAAS पोर्टल पर आवेदन जमा करने हेतु सूचना पत्र।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत संस्थान के पिछडा वर्ग प्रथम (नवीन) वर्ष 2024–25 के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम स्वयं का हितग्राही पंजीयन MPTAAS Portal पर कराना होगा। यह पंजीयन हितग्राही द्वारा स्वयं, इंटरनेट कियोस्क यथा एम.पी ऑन लाईन( MP- online), नागरिक सुविधा केन्द्र (CSC) के माध्यम से किया जा सकेगा।

पिछडा वर्ग के विद्यार्थी जिनके माता पिता की वार्षिक आय रू 3,00,000 / –(तीन लाख रूपये तक) है, वे छात्रवृत्ति के पात्र होगे। पंजीयन होने के पश्चात http://www.tribal.mp.gov.in/mptaasपर जाकर अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथनिम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे :–

1. शासकीय सेवक हो तो विभाग द्वारा जारी वेतन सेलरी स्लिप विगत माह, जिसमें समस्त प्रकार **के** वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो। अगर माता–पिता दोनो शासकीय सेवक हो, तो दोनो की पे स्लीप जमा करना अनिवार्य है। जिनके माता पिता व्यवसाय करते हो, वे इन्कम टेक्स रिर्टन–16, प्रायवेट सेवारत कर्मचारी / अधिकारी को नियोक्ता का वार्षिक अथवा मासिक आय प्रमाण पत्र।
2. विद्यार्थी ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु बैक का नाम, बैंक खाता नम्बर, आय. एफ.एस.सी कोड की जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करे व खाता नम्बर को ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य। बैंक खाते नम्बर में त्रुटि होन पर संपूर्ण जवाबदारी विद्यार्थी की होगी।
3. प्रवेश के समय संस्था मे जमा की गई शिक्षण शुल्क की रसीद की छायाप्रति।
4. प्रथम वर्ष के विद्यार्थी 10वी 12वी की मार्कशीट की फोटोकापी संलग्न करे।
5. विद्यार्थी अपना आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।
6. पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप आवेदन पत्र पर अपना नवीन फोटो पेस्ट करे।
7. समस्त दस्तावेजो को स्वप्रमाणित हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
8. स्थायी जाति प्रमाण पत्र :– एस.डी.एम. द्वारा जारी ही मान्य।
9. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
10. एडमिशन स्लीप, शुल्क जमा का चालान, अलॉटमेन्ट लेटर ।
11. स्कालरशिप आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी 4(अ) 4(ब) 4(स) प्रोफार्मा आवश्यक रूप से भरकर देवे।
12. समस्त विद्यार्थियो की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति अनिवार्य है,उपस्थिति कम होने पर छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क इत्यादि का भुगतान पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला इन्दौर द्वारा नही किया जावेगा, जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगे।
13. राज्य शासन द्वारा शिक्षण शुल्क एवं अन्य भुल्क की प्रतिपूर्ति न करने या अध्ययनरत पाठयकम के अनुसार शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क भुगतान कम होने पर अंतर राशि संबधित विद्यार्थियो द्वारा ही वहन की जावेगी।

संलग्न समस्त दस्तावेजो के साथ **दिनांक 28 / 02 / 2025 तक** स्कालरशिप विभाग (पी.एम.एस सेक्शन) में जमा कर सकते है।

निदेशक

प्रतिलिपि :–

1) समस्त डीन / समस्त विभागाध्यक्ष
2) निदेशक कार्यालय
3) रजिस्ट्रार कार्यालय।
4) समस्त नोटिस बोर्ड / होस्टल।
5) संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।